# न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 146/2020/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 07.07.2020
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

**उनवान**

1. स्व. दीपक चोधरी आत्मज श्री जय भगवान जाति जाट निवासी ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी जरिये कायम मुकामान
   1/1. सुनीता पत्नी स्व० श्री दीपक चोधरी जाति जाट निवासी ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी हाल निवासी कुन्हाडी थाने के सामने, सुभाष नगर, कोटा
   1/2. अभिषेक आयु 14 वर्ष आ० स्व० श्री दीपक चोधरी
   1/3. विमांशु आयु 17 वर्ष आ० स्व० श्री दीपक चोधरी
   निवासीगण ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी हाल निवासी कुन्हाडी थाने के सामने, सुभाष नगर, कोटा नाबालिगान बविलायत माता स्वयं अपीलान्ट नं० 1/1 सुनीता पत्नी स्व० श्री दीपक चोधरी जाति जाट निवासीगण ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी हाल निवासी कुन्हाडी थाने के सामने, सुभाष नगर, कोटा
2. राज कुमारी पत्नी श्री राहुल चोधरी जाति जाट निवासी ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी हाल निवासी कुन्हाडी थाने के सामने, सुभाष नगर, कोटा
3. गौरव मलिक पुत्र श्री भगवान जाति जाट निवासी ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
4. राहुल मलिक पुत्र श्री भगवान जाति जाट निवासी ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
5. चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जी जाति जाट निवासी ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी

....अपीलांट्स

**बनाम**

1. जयराम मलिक आत्मज श्री ओम सिंह जी मलिक जाति जाट निवासी लाखेरी रोड, जाट बस्ती, ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
2. ओम सिंह आत्मज श्री रामजीलाल जी जाति जाट निवासी पंचवटी नगर, कोटा
3. स्टेट ओफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलांट
श्री बृजबिहारी गोचर अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 3

18/2/2021
अति. सं. आयुक्त
कोटा

:: **निर्णय** ::

**दिनांक 18.02.2025**

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 34/2019 बउनवान जयराज बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो क्र.1 एवं 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते तरमीम दुरुरूती एक प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थी के नाम दर्ज ग्राम बड़ाखेड़ा में आराजी खसरा सं0 1385 रकबा 1.21 है0 1385/2 रकबा 0.32 है0, 1387/3 रकबा 0.56 है0 एवं 1387/5 रकबा 1.08 स्थित है, जिसकी दौराने तरमीम अभियान सेग्रीगेशन उक्त खसरों की तरमीम गलत कर दी गई है। अतः प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा मुताबित मौके रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ़ के प्रार्थी/रेस्पो0 के प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार खसरा नंबरान के संबंध में सेग्रीगेशन के दौरान हुई आनॅलाइन नक्शे में तरमीम रकबे व कब्जे अनुसार सहीं नहीं होना मानते हुए ऑनलाईन नक्शे में पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का आदेश दिनांक 29.07.2019 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.07.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून, न्याय एंव तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि हाल खसरा नम्बरान 1385, 1387, 1389, 1390 एवं साबिक खसरा नम्बर 1015 एंवम् 1016 का रकबा बडा है। उपरोक्त खसरा नम्बरांन की अलग अलग भूमियां अपीलान्ट एवम् रेस्पो द्वारा खरीद की है। अपीलान्ट्स एवं रेस्पो01 व 2 एक ही जाति समाज के सदस्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि खसरा नम्बर 1385 की 1.21 हेक्टर भूमि रेस्पो० नं0 1 जयराज आत्मज ओम सिंह चोधरी नाबालिग जरिये पिता ओम सिंह द्वारा खरीद की गयी थी। खसरा नम्बर 1385/1 की 1.21 हेक्टर एंवम् खसरां नम्बर 1389/1 की 1.08 हेक्टर जुमला 2 किता की 2.29 हेक्टर भूमि दीपक चौधरी आत्मज श्री भगवान चोधरी द्वारा खरीद की गयी थी। उपरोक्त भूमि उसकी मृत्यु के बाद जरिये फोती नामान्तरकरणं अपीलान्टान नम्बर 1/1 लगायत 1/3 के खाते दर्ज की गयी थी। खसरा नम्बर 1389/2 की 0.92 हेक्टर भूमि रेस्पो० नं0 2 ओम सिंह मलिक आत्मज रामजी लाल जाट के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 1390 की 2.60 हेक्टर भूमि है जो राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अपीलान्ट नं0 5 चन्द्रपाल सिंह आत्मज लक्ष्मण सिंह, दीपक चोधरी आ० भगवान हिस्सा 1/4, श्री भगवान पुत्र मुकुन्द सिंह व ओम सिंह आत्मज रामजीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज है। खसरा नम्बर 1389/3 की 1.08 हेक्टर श्री भगवान पुत्र मुकुन्द सिंह व ओम सिंह आत्मज रामजीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज है। खसरा नम्बर 1384 की 0.90 हेक्टर व खसरा नम्बर 1385.2 की 0.32 हेक्टर जुमला 2 किता की 1.22 हेक्टर कृषि भूमि सरोज पत्नी भगवान के नाम दर्ज है । श्री भगवान पुत्र मुकुन्द सिंह व ओम सिंह आत्मज रामजीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज है। पुराने खसरा नम्बर 1015 की भूमि में से 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलान्ट नं0 5 चन्द्रपाल सिंह के, 3 बीघा 11 बिस्वा

18.2.2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

भूमि रेस्पो० नं० 1 जयराज मलिक, 2 बीघा 1.1 बिस्वा भूमि दीपक आत्मज जयभगवान के खाते में दर्ज है जो दीपक की मृत्यु के बाद उसके वारिसान अपीलान्ट नं0 1/1 लगायत 1/3 के खाते दर्ज हो गयी। 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलान्ट नं0 3 व 4 कमश गौरव मलिक व राहुल मलिक द्वारा खरीद की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण खरीद शुदा भूमि 10.94 हेक्टर है। उपरोक्त कुल 10.94 हैक्टर भूमि का अपीलान्टान एवम् रेस्पो० नं0 1 व 2 ने आपसी सहमति एवं रजामन्दी से सड़क के दक्षिण की और लम्बाई में चार बराबर बराबर भागों में बंटवारा कर लिया था। जिसका लिखित दस्तावेज इकरार नामा सहमति बंटवारा बाद में दिनांक 21.9.2006 को निष्पादित किया गया था। सालिम खसरा नम्बर 1385, 1387, 1389, 1390 के अपीलान्टान एंवम् रेस्पो० क्रेतागण है एंव काबिज है जिनमें बटा नम्बरान भी कायम हुये है। ऐसी स्थिती में अपीलान्टान को पक्षकार बना कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एंवम् विधि संगत है इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में रेस्पो० नं० 1 अपीलान्टान के सुस्थापित कब्जे को हटाने को तत्पर है एंवम अपीलान्टान के खाते व कब्जे की भूमि में हस्तक्षेप करने को आमादा है अवैध कृत्य में पुलिस इमदाद ले रहा है, अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा का सन्तुलन एंवम् अपूरर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलान्टान के पक्ष में हुक्म जेर अपील की पालना को स्थगित किये जाने में एंवम् मोके की यथास्थिती कायम रखे जाने में है। अपीलान्ट नम्बर 1/1 लगायत 1/3 क्रमशः सुनीता अभिषेक एंवम् विमांशु ग्राम बडा खेडा की खसरा नम्बर 1387/4 की 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 1385/1 की 1.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 1389/1 की 1.08 हेक्टर, भूमि के खातेदार एवं काबिज है। अपीलान्ट नं0 2 राज कुमारी खसरा नम्बर 1389/3 की 1.08 हेक्टर भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदार व काबिज है, अपीलान्ट नं0 3 व 4 क्रमशः गौरव मलिक एंव राहुल मलिक खसरा नम्बर 1387/2 की 0.39 हेक्टर, भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट नं० 5 चन्द्रपाल सिंह खसरां नम्बर 1385/3 व 1387/1 की क्रमशः 1.21 हेक्टर व 0.38 हेक्टर जुमला 2 किता की 1.59 हेक्टर एंवम् अन्य भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है। सेग्रीग्रेशन के दौरान नक्शे में त्रुटि नहीं की गयी है। मोके की स्थिती एवम् कब्जे के अनुसार ही नक्शा बनाया गया है जिसे तरमीम करने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलान्टान एंवम रेस्पो० नं0 1 व 2 की भूमि समीपवर्ती है। रेस्पो. नं0 1 व 2 नक्शा तरमीम की आड में अपीलान्टान के सुस्थापित कब्जे में हस्तक्षेप करने को एंवम पूर्व में कायम मेड बन्दी को हटाने को तत्पर है। अपीलान्टान का उपरोक्त भूमि में हित निहित है। अपीलान्टान उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है। हुक्म जेर अपील से अपीलान्टान के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। अपीलान्टान हुक्म जेर अपील से व्यथित पक्षकार (एग्रीव्ड परसन) होने से यह अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अपीलान्टान को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमायी जाकर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को पक्षकार बनाकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर अपीलांट की मौजूदगी में मौका व कब्जे की वस्तुस्थिति रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण प्रेतिप्रेषित फरमाया जावे।

18.2.2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने तथा जर्ये रजि0 एडी रेस्पो0 को तलब किये जाने पर बावजूद सूचना के रेस्पो0 के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिती में बिना सुनवाई एवं समुचित रूप से जांच किये बिना ही निर्णय दिनांक 29.07.2019 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि हाल खसरा नम्बरान 1385, 1387, 1389, 1390 एवं साबिक खसरा नम्बर 1015 एंवम् 1016 का रकबा बडा है। उपरोक्त खसरा नम्बरांन की अलग अलग भूमियां अपीलान्ट एवम् रेस्पो द्वारा खरीद की है। सालिम खसरा नम्बर 1385, 1387, 1389, 1390 के अपीलान्टान एंवम् रेस्पो० क्रेतागण है एंव काबिज है जिनमें बटा नम्बरान भी कायम हुये है। ऐसी स्थिती में अपीलान्टान को पक्षकार बना कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एंवम् विधि संगत है इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट नम्बर 1/1 लगायत 1/3 क्रमशः सुनीता अभिषेक एंवम् विमांशु ग्राम बडा खेडा की खसरा नम्बर 1387/4 की 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 1385/1 की 1.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 1389/1 की 1.08 हेक्टर, भूमि के खातेदार एवं काबिज है। अपीलान्ट नं0 2 राज कुमारी खसरा नम्बर 1389/3 की 1.08 हेक्टर भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदार व काबिज है, अपीलान्ट नं0 3 व 4 क्रमशः गौरव मलिक एंव राहुल मलिक खसरा नम्बर 1387/2 की 0.39 हेक्टर, भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट नं० 5 चन्द्रपाल सिंह खसरां नम्बर 1385/3 व 1387/1 की क्रमशः 1.21 हेक्टर व 0.38 हेक्टर जुमला 2 किता की 1.59 हेक्टर एंवम् अन्य भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है। सेग्रीग्रेशन के दौरान नक्शे में त्रुटि नहीं की गयी है। मोके की स्थिती एवम् कब्जे के अनुसार ही नक्शा बनाया गया है जिसे तरमीम करने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलान्टान एंवम रेस्पो० नं0 1 व 2 की भूमि समीपवर्ती है। अपीलान्टान का उपरोक्त भूमि में हित निहित है। अपीलान्टान उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है। हुक्म जेर अपील से अपीलान्टान के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। अपीलान्टान हुक्म जेर अपील से व्यथित पक्षकार (एग्रीव्ड परसन) होने से यह अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अपीलान्टान को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमायी जाकर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को पक्षकार बनाकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर अपीलांट की मौजूदगी में मौका व कब्जे की वस्तुस्थिति रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण प्रेतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1420 2023[2] DNJ [Rev.] पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र 1 एवं 2 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की खसरा नं0 1387/5, 1385 एवं 1385/2 कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है जो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जयराज पुत्र ओम सिंह जाति जाट निवासी बडा खेडा के नाम से राजस्व खाते मे दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 1387/5 रकबा 1.08 हैक्टर उत्तर की तरफ से दक्षिण की ओर रेस्पोडेन्ट मौके पर कब्जा काश्त है। खसरा

18.2.2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

नं0 1388 से लगवा खसरा नं0 1387/3 रकबा 0.56 हेक्टर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। खसरा नं0 1388 से लगवा एवं खसरा नं0 1385/2 रकबा 0.32 हेक्टर उत्तर से दक्षिण होते हुये 1388 से 1384 तक रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। खसरा नं0 1388 से लगवा खसरा नं0 1387/3 रकबा 0.56 हेक्टर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। उपरोक्त कृषि भूमि जिस पर रेस्पोडेन्ट नियमानुसार काबिजकाश्त है उसका ईटीएस सर्वे मशीन से नियमानुसार सर्वे हो चुका है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया आदेश मौके की भौतिक स्थिति के अनुसार किया गया है जो विधि सम्मत होंने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। विधि के सुस्थापित नियम है कि कृषि भूमि पर कृषको की सुविधा अनुसार एंव भौगोलिक स्थिति के अनुसार तरमीम की जायेगी। अपीलान्ट जिस प्रकार तरमीम करवाना चाहते है, वह मात्र कागज पर संभव है कि मौके की भौगोलिक स्थिति के अनुसार संभव नही है। यदि अपीलान्ट के अनुसार तरमीम की गई होती तो अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट का अपनी कृषि भूमि पर पहुंचना ही असंभव हो जायेगा तथा खसरों के विभिन्न टुकडे करने होगे जो व्यवहारिक दृष्टि से अनुचित है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया तरमीम आदेश विधि सम्मत होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने का अनुरोध किया।

5. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

6. प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी का निर्णय किया जाना आवश्यक प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि रेस्पो क्र.1 एवं 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते तरमीम दुरूती एक प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थी के नाम दर्ज ग्राम बड़ाखेड़ा में आराजी खसरा सं0 1385 रकबा 1.21 है0 1385/2 रकबा 0.32 है0, 1387/3 रकबा 0.56 है0 एवं 1387/5 रकबा 1.08 स्थित है, जिसकी दौराने तरमीम अभियान सेग्रीगेशन उक्त खसरों की तरमीम गलत कर दी गई है। अतः प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा मुताबित मौके रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ़ के प्रार्थी/रेस्पो0 के प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार खसरा नंबरान के संबंध में सेग्रीगेशन के दौरान हुई आनॅलाइन नक्शे में तरमीम रकबे व कब्जे अनुसार सहीं नहीं होना मानते हुए ऑनलाईन नक्शे में पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का आदेश दिनांक 29.07.2019 पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि हाल खसरा नम्बरान 1385, 1387, 1389, 1390 एवं साबिक खसरा नम्बर 1015 एंवम् 1016 का रकबा बडा है। उपरोक्त खसरा नम्बरांन की अलग अलग भूमियां अपीलान्ट एवम् रेस्पो द्वारा खरीद की है। अपीलान्ट्स एवं रेस्पो01 व 2 एक ही जाति समाज के सदस्य है। अपीलान्टान एंवम रेस्पो० नं0 1 व 2 की भूमि समीपवर्ती है। रेस्पो. नं0 1 व 2 नक्शा तरमीम की आड में अपीलान्टान के सुस्थापित कब्जे में हस्तक्षेप करने को एंवम पूर्व में कायम मेड

18.2.2025
अति. संभागायुक्त
कोटा

बन्दी को हटाने को तत्पर है। अपीलान्टान का उपरोक्त भूमि में हित निहित है। अपीलान्टान उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है। हुक्म जेर अपील से अपीलान्टान के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। इस प्रकार प्रकरण में रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण में आदेश पारित करने से पूर्व नक्शे में तरमीम के सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट् के हितों पर विपरीत प्रभाव एवं अपील में व्यथित पक्षकार होना प्रकट होता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय में अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 के प्रार्थना–पत्र पर पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तरमीम दुरूस्ती के आदेश दिये गए। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा सं0 1385, 1387 का रकबा बड़ा है, जिसमें से पृथक–पृथक विक्रय पत्रों से मिसल नम्बर कायम कर नए खसरा नम्बरान बने है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से नक्शे में दुरूस्ती होनी है, जिससे अन्य खातेदारों की सीमाएं भी परिवर्तित होगी। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पड़ौसी खातेदारों की सुनवाई आवश्यक है अन्यथा वाद–बाहुल्य को बढ़ावा मिलेगा। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 एकपक्षीय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि निर्णय मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों के तहत समुचित परीक्षण/जांच कर प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18.2.2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा